

फर्द अहकाम

कैलाश चन्द

बनाम

राजस्थान सरकार

526/25

पत्र:

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक


विशेष
विवरण

19.06.2025

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम पंवालिया, पटवार हल्का पंवालिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि. खाता संख्या 532 के खसरा नम्बर 1475/1, 1476 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7150 है0 का सीमाज्ञान तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक:/भू0अ0/सीमा/2025/4846 दिनांक 10.06.2025 की पालना में दिनांक 12.06.2025 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष ख0सं0 1404 किश्म गै.मु.चाह, ख0सं0 1490 किश्म गै.मु.चाह से जरीब चलाकर उ0प0 मेड निर्धारित की गई। तिमेडा, चौमेडा से जरीब चलाकर व कुओं से जरीब चलाकर द0प0 कोना कायम किया जाकर उक्त ख0न0 का सीमांकन कर सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.06.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम पंवालिया, पटवार हल्का पंवालिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 532 के खसरा नम्बर 1475/1, 1476 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7150 है0 का सीमाज्ञान फर्द मौका-रिपोर्ट आदेश दिनांक 12.06.2025 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)